

आज पत्रावली पेश हुई।  
वादीगण एवं वकील वादी उप० नही  
न्यायालय में बार-बार आवान  
दिलाई गयी। कोई उप० नही। कंठि

आवाज सांघ 8:30 बजे दिलायी  
गयी। कोई उपलब्ध नही आया।

अतः पार्टी का पार्टी पत्र 212  
RTA खारिज किया जाता है अत्र  
जलाल कुमार होकर नंबर ले कर  
होकर दायिम वफतुर हो।

  
सहायक कमिश्नर  
अलवर (राज०)